''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।''

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 7

इस्लाम और धरोहर की अहमियत

धरोहर वापस करना अनिवार्य है, चाहे वह धरोहर किसी की भी हो औरचाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो

मौलाना अरशद मदनी

अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक

जमीअत उलमा-ए-हिन्द

1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम
और धरोहर की अहमियत

धरोहर वापस करना अनिवार्य है, चाहे वह धरोहर किसी की भी हो औरचाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

अल्लाह तआ़ला ने पवित्र क़ुरआन में फ़रमाया है:–

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا﴾.

(سورة النساء: ٥٨)

''निस्संदेह अल्लाह तआ़ला तुमको इस बात का आदेश देते हैं कि धरोहर धरोहर वालों को पहुंचाओ।'' (सूरह निसा 58)

अर्थात अल्लाह तआ़ला तुमको आदेश देता है कि धरोहर, धरोहर के मालिक को पहुंचाया करो, इस आदेश का सम्बंध हर उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई धरोहर रखी गई है, इस जगह यह बात ध्यानयोग्य है कि पवित्र क़ुरआन ने अमानत (धरोहर) का बहुवचन प्रयोग करके बता दिया कि धरोहर केवल यही नहीं कि किसी का कोई माल किसी के पास रखा हो, जिसको समान्यत: धरोहर कहा और समझा जाता है, बल्कि धरोहर के बहुत से प्रकार हैं, जिनमें सरकारी पद भी दाखिल हैं, और सभा में जो बात कही जाये वह उस सभा की धरोहर है, उनकी अनुमति के बिना उसको दूसरों को बताना और फैलाना उचित नहीं, आयत में इन सब धरोहरों का अदा करना शामिल

है। (मआरिफ़ुल क़ुरआन 447/2)

पवित्र क़ुरआन की इस आयत पर विचार करने से पता चलता है कि धरोहर का लौटाना अनिवार्य है, चाहे वह धरोहर किसी की भी हो और चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर किसी व्यक्ति ने दुनिया में किसी का हक़ अदा नहीं किया तो हमारे आक़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन अनुसार उसको क़यामत में धरोहर के बदले में अपने अच्छे कार्य अर्थात रोज़ा और नमाज़ देने होंगे, क्योंकि आख़िरत में दुनिया के माल का कोई मोल न होगा बल्कि वहां अल्लाह की दया एवं यात्ना के लिये मनुष्य के कर्मों को आधार बनाया जाएग।

इस आयत के उतरने का संक्षिप्त विवरण यह है कि उसमान बिन तलहा के पास काबा शरीफ़ की चाभी रहा करती थी, जब पवित्र मक्का पर विजय प्राप्त हुई तो उसमान से चाभी मंगवाई, वह चाभी लेकर आए और अपने हाथ से काबा शरीफ़ की चाभी यह कह कर दी कि यह धरोहर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पवित्र हाथ से काबा शरीफ़ को खोला और अंदर गए, जब बाहर आए तो बड़े बड़े सहाबा (पैग़म्बर के साथी) इसकी इच्छा कर रहे थे कि अल्लाह के घर की चाभी अल्लाह के रसूल हमें प्रदान कर दें, उस समय अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी, इसलिये आपने काबे की चाभी उसमान ही को वापस की हालांकि सब लोग लिखते हैं कि उस समय तक उसमान बिन तलहा मुसलमान नहीं हुए थे। इस घटना के बाद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न्याय को देखकर ईमान लाए हैं, यह बात ध्यानयोग्य है कि उसमान अगरचे मुसलमान नहीं थे लेकिन धरोहर का ऐसा महत्व है कि उसको उसी के हाथ तक पहुंचाया जाएगा जिस हाथ से लिया है, इस से कोई बहस नहीं कि मुसलमान का हाथ है या ग़ैर-मुस्लिम का।

﴿فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه‘ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّه‘﴾. (سورة البقره: ٢٨٣)

''फिर अगर एक दूसरे पर भरोसा करे तो चाहिये कि जिस पर भरोसा किया वह अपनी अमानत को पूरी अदा कर दे और अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है।'' (सूरत बक़रह 283)

उद्देश्य इस कथन का यह है कि जिसके हाथ में कोई धरोहर है उस पर अनिवार्य है कि वह धरोहर उसके मालिक को पहुंचा दे, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धरोहर लौटाने पर बड़ा ज़ोर दिया है, हज़रत अनस फ़रमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भाषण दिया हो और उसमें यह न फ़रमाया हो:-

''जिसमें अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं और जिस व्यक्ति में वचन का पालन नहीं उसमें दीन नहीं।'' (मआरिफुल क़ुरआन 446/2)

﴿الَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ﴾.

(سورة المومنون:۷،سورة المارج:۳۲)

''और (निस्संदेह उन मुसलमानों ने आख़िरत में सफलता पाई) जो अपने (पास रखी हुई) धरोहर और अपने वचन का (जो किसी समझौते के सम्बंध में किया हो या वैसे ही आरंभ किया हो) ध्यान रखने वाले हैं।'' (सूरा मोमिनून 7, सूरह मआरिज 32)

अमानत (धरोहर) के शब्दकोशीय प्ररिभाषा में हर वह चीज़ शामिल है जिसकी ज़िम्मेदारी किसी व्यक्ति ने उठाई हो और उस पर भरोसा किया हो, उसके प्रकार क्योंकि बहुत हैं, इसलिये इसका बहुवचन प्रयोग किया गया, ताकि अमानत (धरोहर) के सभी प्रकार संमिलित हो जाएं चाहे वह अल्लाह के अधिकार से संबंधित हों या बन्दों के अधिकार से संबंधित।

अल्लाह के अधिकार से संबंधित अमानतों में शरीअत के समस्त कर्तव्यों का पालना करना और सभी बुरे कर्यों को छोड़ना है, और बन्दों के अधिकार से संबंधित अमानतों में माल का धरोहर के रूप में रखना तो प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त किसी ने कोई राज़ की बात किसी से कही वह भी उसकी धरोहर है, बिना अनुमति के किसी का राज़

ज़ाहिर करना धरोहर में विश्वासघात है, मज़दूर और कर्मचारी को जो काम दिया जाये उसके लिये जितना समय ख़र्च करना आपस में तै हो गया है उसमें उस काम को पूरा करने का अधिकार भी धरोहर है, काम या समय की चोरी विश्वासघात है, किसी भी जगह नौकरी करने वाले को यह पवित्र आयत अपने सामने रखनी चाहिए।

(मआरिफ़ुल क़ुरआन 286/6)

﴿وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً﴾.

(سورة بنی اسرائیل: ۳۷)

''और वचन को पूरा किया करो निस्संदेह ऐसे वचन के बारे में (क़यामत के दिन) पूछ होग।'' (सूरह बनी इस्राईल 37)

वचन में अल्लाह के समस्त आदेश और सभी समझौते जो लोगों के बीच होते हैं दाखिल हैं। समझौते की वास्तविकता यह है कि दो पक्षों के बीच किसी कार्य के करने या न करने का समझौता हुआ और जो कोई किसी से स्वयं वादा कर लेता है कि मैं आपको अमुक चीज दूंगा, या अमुक समय आपसे मिलूंगा या आपका अमुक कार्य कर दूंगा, इन सब का पूरा करना अनिवार्य है और वचन के उपरोक्त आदेश में दाखिल है। (मआरिफ़ुल क़ुरआन 480/5)

﴿وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾.

(سورة الانعام: ۱۵۳)

''और अल्लाह तआ़ला से जो वचन किया करो उसको पूरा किया करो इन (सब) का अल्लाह तआ़ला ने तुमको कड़ा आदेश दिया है, ताकि तुम याद रखो (और अमल करो)।'' (सूरह अनआम 153)

वचन दो तरह के हैं, एक वह जो बन्दे और अल्लाह के बीच है, जैसे सृष्टि की रचना के समय बन्दे का यह वचन कि निस्संदेह अल्लाह तआ़ला हमारा रब है, इस वचन का स्वभाविक प्रभाव उसके आदेश के पालन और उसकी अज्ञाकारिता से होता है, यह वचन तो हर मनुष्य ने सृष्टि की रचना के समय किया है, चाहे वह दुनिया में मोमिन हो या मोमिन न हो, दूसरा वचन मोमिन का है, जो ''ला इलाहा

इल्लल्लाह'' की गवाही द्वारा किया गया है।

दूसरे प्रकार का वचन वह है जो एक मनुष्य किसी अन्य मनुष्य से करता है, जिसमें समस्त राजनीतिक समझौते एवं व्यावसायिक मामले शामिल हैं, जो व्यक्ति या संगठन के बीच दुनिया में होते हैं।

प्रथम प्रकार के सभी समझौतों का पूरा करना मनुष्य पर अनिवार्य है, और दूसरे प्रकार के वचन में जो समझौते शरीअत के विरुद्ध न हों उसका पूरा करना आवश्यक है।

(दो व्यक्तियों का आपस में कोई समझौता या एक व्यक्ति का कोई वादा कर लेना, यह भी एक प्रकार से धरोहर ही के अंतर्गत आएगा, वादा को पूर्ण करना चाहे जिससे वादा किया गया है ज़िंदा है या मर गया अमानतदारी है और वादा तोड़ देना विश्वासघात कहलाएगा) (मआरिफुल क़ुरआन 479/5)

धरोहर रखने से संबंधित कुछ हदीसें

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ."

(رواه البيهقى)

''हज़रत अनस बिन मालिक के अनुसार बहुत कम ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें संबोधित किया हो और उसमें यह न कहा हो, जिसमें धरोहर रखने का गुण नहीं उसमें ईमान नहीं और जिसमें वचन निभाने का गुण नहीं उसमें दीन नहीं।'' (बैहक़ी)

इससे यह पता चला कि विश्वासघाती और वचन का पालन न करने वाला इन्सान पूर्ण मोमिन नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही ईमान का दावा करे।

"رَوَى أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلٰى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ."

(أخرجه الدار قطنى)

''हज़रत उबै बिन काब कहते हैं कि उन्होंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना, आपने फ़रमाया, जो व्यक्ति तुम्हारे पास धरोहर रखे उसकी धरोहर दे दिया करो, और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसके साथ तुम विश्वपासघात न करो।'' (दारे क़ुतनी)

हमारे आक़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा और लड़ाई करने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है। इस्लाम में हर इन्सान को बदला लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अल्लाह के नबी का गुरुमंत्र पूर्ण ईमान रखने वाले मोमिन के लिये यही है कि वह बुरा व्यवहार करने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करे और क्षमा करे।

"عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ." (رواه مسلم)

''हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया मुनाफ़िक़ (कपटी) की तीन निशानियां हैं (1) जब बात करे तो झूठ बोले (2) जब वादा करे तो उसको पूरा न करे (3) जब उसको किसी चीज़ का अमानतदार बना दिया जाए तो विश्वासघात करे।'' (मुस्लिम शरीफ़)

"عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقاً وَإِنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ."

(رواه البخاری و مسلم)

हज़रत अबदुल्लाह बिन अमर के अनुसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, चार गुण ऐसे हैं कि जिसमें चारों जमा हो जाएं वह मुनाफ़िक़ (कपटी) है और जिसमें इन चारों में

से कोई एक गुण हो तो उसमें कपट का एक गुण है, जब तक वह उसको छोड़ न दे, (1) जब बात करे तो झूठ बोले (2) जब वादा करे तो पूरा न करे (3) जब धरोहर रखी जाए तो विश्वासघात करे (4) जब समझौता करे तो धोखा दे।'' (बुखारी शरीफ़)

इस हदीस से यह पता चलता है कि यह बुरे गुण मुसलमानों के गुण नहीं, बल्कि उनके करने वाले ईमान से वंचित और मुनाफ़िक़ हुआ करते हैं, जिनका ठिकाना नरक होगा, इसलिये हर मोमिन को ऐसे गुणों से अपने आपको बचाना चाहिए।

"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا أَتَقَبَّلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ، قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: "إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبُ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ".

(المستدرک، رقم الحديث: ٨٠٦٧)

''हज़रत अनस बिन मालिक के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम लोग 6 बातों की ज़िम्मेदारी ले लो तो मैं तुम्हारे लिये स्वर्ग की ज़िम्मेदारी लेता हूं। सहाबा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल वह 6 बातें क्या-क्या हैं? आपने फ़रमाया, (1) जब तुम में से कोई बात करे तो झूठ न बोले (2) जब वादा करे तो उल्लंघन न करे (3) जब धरोहर रखी जाये तो विश्वासघात न करे (4) अपनी निगाहें नीची रखा करे (अर्थात जिस पर नज़र डालना हराम है उस पर नज़र न डाले) (5) अपने हाथों को रोके (अत्याचार करने से) (6) (और दुष्कर्म से) अपने लिंग की रक्षा करो।'' (अलमस्तदरक, हदीस संख्या 8067)

प्रत्येक मुसलमान को यह शिक्षा अपने जीवन में उतारना चाहिये और इस्लाम का सही और पूर्ण नमूना बनकर दुनिया के सामने अपने आपको प्रस्तुत करना चाहिये ताकि दुनिया और आख़िरत आबाद हो सके।

❑❑